राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 2 NOV 2021

–: आदेश:–

विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या–5 व आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 7 के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

(i) निकायों द्वारा नीलामी व निर्धारित दर से आवंटित किये गये भूखण्ड जिनमें पूर्ण रूप से मूल राशि निकाय में जमा है किन्तु मूल राशि पर विलम्ब के कारण लगाई गई ब्याज व पैनल्टी जमा नहीं हुई है या आंशिक जमा हुई है। उक्त राशि के जमा नहीं होने से निकाय द्वारा भूखण्ड का पट्टा/कब्जा नहीं दिया जा रहा है या आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया है। ऐसे भूखण्ड़ो को बहाल करने की शक्तियॉ स्थानीय स्तर पर नहीं होने से अभियान के दौरान दिनांक 20.09.2021 के आदेश के तहत समस्त ब्याज व पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है एवं भूखण्ड बहाल करने की शक्तियां भी स्थानीय स्तर पर दी गई हैं।

(ii) समस्त निकायों व आवासन मण्डल द्वारा किसी भी माध्यम से आवंटित किये गये भूखण्ड़, आवास, मकान, फ्लेट्स व अर्द्ध निर्मित मकानों जिनमें आवंटन की मूल राशि पूर्ण रुप से जमा हो चुकी है उनमें ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान करते हुऐ स्थानीय स्तर पर ही लीज–डीड/कब्जा–पत्र/ आवंटन पत्र/ पट्टा आदि जारी करने की कार्यवाही की जावे।

(iii) यदि इस प्रकार के प्रकरण किसी न्यायालय में इसी बिन्दु पर लम्बित हैं तो मा. न्यायालय में संबंधित निकाय/आवासन मण्डल द्वारा दरख्वावस्त लगाई जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया जाकर कार्यवाही करावें।

(iv) उपरोक्त रियायत सभी प्रकार के आवासीय, संस्थानिक, व्यवसायिक व अन्य उपयोग के आवटिंत भू–खण्डों बाबत भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14–ए व 17 के अन्तर्गत लागू होंगे।

उक्त आदेश अभियान अवधि में ही प्रभावी रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. वरिष्ठ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner